क्रम-संख्या–131 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 13 अगस्त, 2025

आषाढ़ 22, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

संसदीय कार्य अनुभाग–1

संख्या 177 / 90-सं-1-2025 / 08सं-2025

लखनऊ, 13 अगस्त, 2025

अधिसूचना

सा0प0नि0–54

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980) की धारा 30 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) नियमावली, 1981 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (सत्ताईसवाँ संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (सत्ताईसवाँ संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 40 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) नियमावली, 1981 में, नियम 40 में, स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (ङ) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ–दो (एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(ङ) सदस्य एस0टी0डी0, इण्टरनेट और थ्री जी की सुविधा के साथ निम्नलिखित का हकदार होंगे,–	(ङ) सदस्य सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग (एस0टी0डी0), इण्टरनेट और थ्री जी की सुविधा के साथ निम्नलिखित के हकदार का होंगे,–
(एक) अपने निर्वाचन क्षेत्र और लखनऊ आवासों पर लगे टेलीफोन और–	(एक) अपने निर्वाचन क्षेत्र और लखनऊ आवासों पर लगे टेलीफोन; और–
(दो) मोबाइल फोन इस शर्त पर कि राज्य सरकार टेलीफोन और मोबाइल बिलों का छः हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक की धनराशि का भुगतान करेगी और छः हजार रुपये से अधिक धनराशि सम्बन्धित सदस्य के वेतन/अन्य देयों से काट ली जायेगीः	(दो) मोबाइल फोन, इस शर्त पर कि राज्य सरकार टेलीफोन और मोबाइल बिलों का नौ हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक की धनराशि का भुगतान करेगी और नौ हजार रुपये से अधिक धनराशि सम्बन्धित सदस्य के वेतन/अन्य देयों से काट ली जायेगीः
परन्तु किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या प्रान्तीय दल, जिसकी सदस्य संख्या का विधान मण्डल के सदस्यों की कुल संख्या अन्यून 3 प्रतिशत हो, के किसी विधान मण्डल दल का नेता अपने लखनऊ आवास पर निःशुल्क स्थानीय टेलीफोन काल का हकदार होगा।	परन्तु यह कि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या प्रान्तीय दल, जिसकी सदस्य संख्या विधान मण्डल के सदस्यों की कुल संख्या का अन्यून 3 प्रतिशत हो, के किसी विधान मण्डल दल का नेता अपने लखनऊ आवास पर निःशुल्क स्थानीय टेलीफोन काल का हकदार होगा।
स्पष्टीकरणः– शंकाओं के निराकरण के लिये एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सदस्य इस खण्ड में उल्लिखित धनराशि की सीमा के भीतर दो टेलीफोन एवं एक मोबाइल फोन की सभी सुविधाओं का या किसी सुविधा का प्रयोग कर सकता है।	**स्पष्टीकरणः–** शंकाओं के निराकरण के लिये एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई सदस्य इस खण्ड में उल्लिखित धनराशि की सीमा के भीतर दो टेलीफोन एवं एक मोबाइल फोन की समस्त सुविधाओं का या किसी सुविधा का प्रयोग कर सकता है।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह– II,

प्रमुख सचिव

———

Uttar Pradesh Shasan
Sansadiya Karya Anubhag-1
No. 177/XC-S-1-2025-08-S-2025
Dated Lucknow, August 13, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 177/XC-S-1-2025-08-S-2025 dated August 13, 2025;

No. 177/XC-S-1-2025-08-S-2025
Dated Lucknow, August 13, 2025

IN exercise of the powers under Section 30 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 (U.P. Act no. 23 of 1980) *read* with Section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Rules, 1981, namely:-

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (TWENTY SEVENTH AMENDMENT) RULES, 2025

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Twenty-seventh Amendment) Rules, 2025.
	(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2025.
Amendment of rule 40	2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Rules, 1981, in rule 40, *for* existing clause (e) set out in Column-I, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-I	COLUMN-II
(Existing clause)	*(clause as hereby substituted)*
(e) The members shall be entitled to,-	(e) The members shall be entitled to-
(i) the telephones installed at their Constituencies and at Lucknow residences and	(i) the telephones installed at their Constituencies and at Lucknow residences and
(ii) Mobile phone	(ii) mobile phone
with the facility of Subscribers Trunk Dialing (S.T.D.), internet and 3G with the condition that the State Government shall make payment of the amount of telephones and mobile bills not exceeding **six thousand rupees** per month and the amount exceeding **six thousand rupees** shall be deducted from the salary/other dues of the member concerned:	with the facility of Subscribers Trunk Dialing (S.T.D.), internet and 3G with the condition that the State Government shall make payment of the amount of telephones and mobile bills not exceeding **nine thousand rupees** per month and the amount exceeding **nine thousand rupees** shall be deducted from the salary/other dues of the member concerned:
Provided that the Leader of a Legislature Party of a Recognized National or Provincial Party having number of members not less 3 percent of total number of members of the Legislature, shall be entitled for free of charge local telephone call at their Lucknow residence.	Provided that the Leader of a Legislature Party of a recognized National or Provincial Party having number of members not less 3 percent of total number of members of the Legislature, shall be entitled for free of charge local telephone call at their Lucknow residence.
Explanation: - For the removal of the doubt it is hereby explained that a member may use either all the facility of two telephones and one mobile phone or any of the facility within the limit of the amount mentioned in this clause.	**Explanation**: - For the removal of doubt it is hereby explained that a member may use either all the facility of two telephones and one mobile phone or any of the facility within the limit of the amount mentioned in this clause.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 129 राजपत्र—2025—(397)—599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 1 सा0 संसदीय—2025—(398)—1100 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।